



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 403 राँची, सोमवार,

10 जुलाई, 2023 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

अधिसूचना

7 जुलाई, 2023

संख्या-05/उ०लि०स्था०-39-03/2023-1607--भारत का संविधान के अनुच्छेद- 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन झारखंड उत्पाद सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित

करते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

- यह नियमावली "झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जायेगी ।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
- यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. "झारखंड उत्पाद लिपिक सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023" सह यथा संशोधित "झारखण्ड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022 (समय-समय पर यथा संशोधित) नियम 8(i) (संशोधित नियमावली के नियम 2) में निम्नांकित प्रावधान है -

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परंतु अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी ।"

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत के अंदर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी संकाय में स्नातक की उपाधि या समकक्ष योग्यता होगी ।"

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 1223 दिनांक 08.06.2013, 2113 दिनांक 22.11.2021 एवं 652 दिनांक 31.03.2022 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
